

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक:एफ.3(PFMS)/आजभूसं/लेखा/2017-18/7479-7490 दिनांक: 26-10-17

कार्यालय आदेश

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के आदेशानुसार विभाग में चल रही समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान/हस्तानान्तरण आदि का कार्य PFMS Portal के माध्यम से किया जाना है। अतः प्रथम चरण में राज्य स्तर पर (SLNA) सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के समस्त भुगतान/हस्तानान्तरण 1 नवम्बर 2017 के पश्चात् केवल PFMS के माध्यम से PPA (Print Payment Advice) के द्वारा ही किये जावेंगे।

(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक:एफ.3(PFMS)/आजभूसं/लेखा/2017-18/7479-7490

दिनांक: 26-10-17

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को भेजकर लेख है कि आप इस हेतु लेखा संबंधित कार्मिकों को कार्य आवंटन एवं जिम्मेदारियां देना सुनिश्चित करें।
4. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग आप इस हेतु समस्त व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
5. श्री सम्बन्धित कार्मिक.....
6. रक्षित पत्रावली।

upload to dept files

Mr

वित्तीय सलाहकार